

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
ज्ञापांक—रा०आ०आ० (वाद) ०६ / २०२०— राँची, दिनांक—
कोर्ट नोटिस

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पलामू।
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

विशयः—

ग्राम—गुरदी, पंचायत—कबल, प्रखण्ड—छत्तरपुर, जिला—पलामू के श्रीमती सरोज देवी व अन्य कुल 117 कार्डधारियों के मामले में सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में।

महाशय,

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम—गुरदी, पंचायत—कबल, प्रखण्ड—छत्तरपुर, जिला—पलामू के रामलाल बैठा व अन्य द्वारा प्राप्त शिकायत पत्र जिसमें राशन नहीं मिलने का उल्लेख है एवं अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को धमकी देने का आरोप है, को आयोग द्वारा अपील के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

अतः विषय की गंभीरता को देखते हुए इस सम्बन्ध में दिनांक – 25.09.2020 को 2.00 बजे अपराह्न आप स्वयं आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

विभवासभाजन

ह० /—
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)

विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः— रा०आ०आ० (वाद) ०६ / २०२०—

राँची, दिनांक—

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:-श्री शंभू कुमार, राज्य प्रमुख, प्रज्ञा केन्द्र को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि सम्बन्धित प्रज्ञा केन्द्र को अपने स्तर से पत्र प्राप्त कराते हुए श्रीमती सरोज देवी व अन्य कुल 117 कार्डधारियों, ग्राम—गुरदी, पंचायत—कबल, प्रखण्ड—छत्तरपुर, जिला—पलामू के मामले में सुनवाई से सम्बन्धित पत्र प्राप्त करा दें एवं यह स्पष्ट कर दें कि ग्रामीणों को सुनवाई की तिथि में किस प्रज्ञा केन्द्र में उपस्थित होना है। अधोहस्ताक्षरी को कृत कार्रवाई से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

ह० /—
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)

विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः— रा०आ०आ० (वाद) ०६ / २०२०— ५१७

राँची, दिनांक— ०८.०९.२०२०

प्रतिलिपि:- श्री बाल्मीकि कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, को निदेश दिया जाता है कि इस नोटिस को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।